




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/10/05 दिनांक: 04.08.2023

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 161/2023

विषय:- Clarification regarding grant of National Holiday Allowance (NHA) to those non-gazetted employees who are getting higher pay level under MACPS.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2021/HL-1 दिनांक: 31.07.2023, RBE No.96/2023 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(P&A)I-2021/HL-1 dt.04.02.2022, RBE No.14/2022	41/2022

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


(संग्राम सोरेन)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE No. 96/2023

No. E(P&A)I-2021/HL-1

New Delhi, dated 31.07.2023

The General Managers and PFAs,
All Indian Railways
and Production Units etc.

Sub: Clarification regarding grant of National Holiday Allowance (NHA) to those non-gazetted employees who are getting higher pay level under MACPS.

Ref.: Board's letter No. E(P&A)I-2021/HL-1 dated 04.02.2022 (RBE No. 14/2022).

Attention is invited to Railway Board's instructions referred above clarifying that NHA would be admissible to those eligible non-gazetted employees who are getting higher pay level beyond level-8 under MACPS, at the rates prescribed for the substantive post held by them.

2. The issue regarding date of effect of Board's letter dated 04.02.2022 has been examined in Board's Office. It is stated that Board's instructions dated 04.02.2022 would be effective from 04.02.2022 onwards.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. This disposes of South Central Railway's letter No. P[R]/55/NHA/III dated 02.08.2022.
5. Please acknowledge receipt.

Meenakshi

(Meenakshi Vinod)
Dy. Director/E(P&A)I,
Railway Board

No. E(P&A)I-2021/ HL-1

New Delhi, dated 31.07.2023

Copy forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

[Signature]

for Member (Finance)/Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(पीएंडए)-I-2021/एचएल-1

आरबीई सं. 96 /2023
नई दिल्ली, दिनांक: 31.07.2023

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत उच्चतर वेतन स्तर प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 04.02.2022 का पत्र सं. ई(पीएंडए)-I-2021/एचएल-1 (आरबीई सं. 14/2022)।

आपका ध्यान ऊपरोल्लिखित रेलवे बोर्ड के अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उन पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को जो मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत लेवल-8 से उच्चतर पे लेवल प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा धारित मूल पद के लिए नियत दरों पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता स्वीकार्य होगा।

2. बोर्ड के दिनांक 04.02.2022 के पत्र के प्रभावी होने की तारीख के मुद्दे की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है। यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के दिनांक 04.02.2022 के अनुदेश 04.02.2022 से प्रभावी होंगे।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।
4. यह दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 02.08.2022 के पत्र सं. पी(आर)/55/एनएचए/III का निपटान करता है।
5. कृपया पावती दें।

Heenakshi

(मीनाक्षी विनोद)
उपनिदेशक/ई (पीएंडए)
रेलवे बोर्ड